हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड

एच. ई. सी. प्रशिक्षण संस्थान

प्लांट प्लाजा रोड, धुर्वा, राँची–834004 (झारखण्ड)

Advt. No.: HRD(HTI)/01/2017-01

एच.ई.सी. लि. द्वारा निम्नलिखित व्यवसायों में अप्रेंटिस एक्ट, 1961 के तहत स्नातक (Graduate) तकनीकी (Technician/ Diploma) प्रशिक्षुओं के चयन हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते है।

सम्भावित रिक्तियॉः–

समुह कोड	व्यवसाय समुह	स्नातक (Graduate)	तकनीकी (Technician/ Diploma)	योग (Total)
01	Computer/Information Technology	06	13	19
02	Mechanical/Production	36	46	82
03	Electrical, Elec. & Electronics, Elec. & Communication	11	21	32
04	Civil Engineering	04	06	10
05	Library Science	00	01	01
06	Hotel Management & Catering	00	01	01
07	Refrigeration & Air Conditioning	00	02	02
08	Metallurgy, Foundry Technology	09	04	13
09	Industrial Engineering, Production Engineering &Industrial Mgt.	03	02	05
10	Secretarial Practice/Accounts	00	04	04
	Total	69	100	169

1.न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताः

क – स्नातक प्रशिक्षुः विधिसम्मत विश्वविधालय से अथवा सरकार के द्वारा अधिकृत संस्थान द्वारा प्रदत सम्बंधित अभियंत्रण/गैर अभियंत्रण शाखा में स्नातक उपधि ।

ख – डिप्लोमा प्रशिक्षुः विधिसम्मत विश्वविधालय से अथवा सरकार के द्वारा गठित राज्य तकनीकी शिक्षा पर्षद द्वारा प्रदत सम्बंधित अभियंत्रण शाखा/गैर अभियंत्रंण शाखा में डिप्लोमा की उपाधि।

2. आवश्यक अर्हता : वे अभ्यर्थी, जो उपर्युक्त न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रखते है। स्नातक/डिप्लोमा प्रशिक्षु के रुप में चयन के योग्य है बशर्ते कि :

क) स्नातक/डिप्लोमा स्तर पर न्यूनतम प्राप्तांक सामान्य एवं पिछडे वर्ग (Gen & OBC) के लिए 55 प्रतिशत तथा अनु जाति/जन जाति एवं निःशक्त (SC/ST & PH) अभ्यार्थियों के लिए 50 प्रतिशत आवश्यक है।

ख) स्नातक / डिप्लोमा परीक्षा की उतीर्णता का वर्ष 2015 या उसके बाद की हो ।

ग) अभ्यर्थी को शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने के पश्चात किसी प्रकार के प्रशिक्षण या कार्यानुभव कुल मिलाकर 1 वर्ष या उससे अधिक नही हो।

घ) वैसे व्यक्ति जो पहले कभी स्नातक/डिप्लोमा प्रशिक्षु के रुप में कही निबंधित/कार्यरत थे तथा किसी कारणवश उनकी प्रशिक्षुता अनुबंध (Contract of apprenticeship) समाप्त हो गया हो इसके लिए उपयुक्त पात्र नही है।

3. आयु–सीमाः दिनांक 31.12.2017 को आवेदक की उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए।

4. देय वृतिका : चयनित स्नातक/डिप्लोमा प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षुता अधिनियम 1961 द्वारा निर्धारित वृतिका दी जाएगी। उन्हे अन्य किसी प्रकार का भत्ता/इंसेन्टिव आदि देय नही होगा ।

5. अवकाश : प्रशिक्षुओं का अप्रेंटिस एक्ट 1961 के प्रावधानो के अनुसार एक वर्ष के अन्दर 12 दिन का आकस्मिक अवकास तथा 15 दिन का चिकित्सा अवकाश देय है। आकस्मिक अवकाश एवं चिकित्सा अवकाश को एक साथ नही मिलाया जा सकता ।

6. चयन प्रकियाः उम्मीदवार का चयन स्नातक उपाधि/डिप्लोमा परीक्षाफल में कुल प्राप्तांक के मेघा–सूची के आधार पर किया जाएगा। किसी कोटि के उम्मीदवारों की अनुपलब्ध्ता की स्थिति में अन्य कोटि के उम्मीदवारों की मेधा–सूची से रिक्तियॉ भरी जाएगी ।

7. आरक्षणः अनु.जाति/जन–जाति/पिछडा वर्ग एवं निःशक्त अभ्यर्थियों को सरकारी निर्देशों के अनुसार आरक्षण देय होगा।

8. अधिमानताः मेधा–सूची के निर्धारण में एचईसी मे कार्यरत कर्मचारियों / सेवानिवृत कर्मचारीयों /ठेका कर्मचारीयों/ विस्थापित एवं मृत कर्मचारीयों के आश्रितो को प्राप्ताक में 10 प्रतिशत की अधिमानता दी जाएगी ।

9. मेडिकल जॉचः चयन प्रक्रिया के अंतिम चरण में सफल अभ्यर्थियों को मेडिकल जॉच उपरान्त सफल घोषित होने पर ही योगदान की अनुमति दी जाएगी ।

10. अन्य सूचनाएंः–

क. आवेदन पत्र HEC के वेबसाइट www.hecltd.com से Online भरा जाएगा । आवेदन पत्र प्रक्रिया शुल्क सामान्य एवं पिछडा वर्ग के लिए 500=00 (पॉच सौ रुपये) तथा अनु.जाति/जन–जाति/एवं निःशक्तों के लिए 125=00 (एक सौ पच्चीस रुपये) मात्र Online or E-Challan के माध्यम से भुगतान करने की सुविधा होगी ।

ख. आवेदन पत्र एवं शुल्क भुगतान करने संम्बंधी सारी जानकारीयॉ HEC के वेबसाइट www.hecltd.com पर उपलब्ध है।

ग. चयनित प्रशिक्षुओं का आचरण अशोभनीय या उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए कागजात अथवा सूचनाऍ गलत साबित होने पर उसका प्रशिक्षण समाप्त कर दिया जाएगा और प्रशिक्षण अवधि में उपके प्रशिक्षण में हुए खर्च की वसूली भी की जाएगी । साथ ही अन्य आवश्यक कानूनी कारवाई भी की जा सकती है।

घ. प्रशिक्षण अप्रेंटिस एक्ट,1961 के प्रावधानों के अनुसार संचालित होगा Online फार्म भरने की अन्तिम तिथि 12.01.2018 है।

(प्रभारी)
मानव संसाधन विकास विभाग एच.ई.सी./मुख्यालय